

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3339

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की जमाखोरी

3339. श्री अनन्त नायक:

श्री अनूप संजय धोत्रे:

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या जमाखोरी/कालाबाजारी की कोई घटना सरकार के संज्ञान में आई है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) भविष्य में इन समस्याओं को रोकना सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग): उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को एफसीओ के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी/जमाखोरी को रोकने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करके उर्वरकों की कालाबाजारी/जमाखोरी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2025 अर्थात दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 01.08.2025 तक उर्वरकों की कालाबाजारी/जमाखोरी के मामलों की संख्या और राज्यों द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

[illegible]